रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1539] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2019/वैशाख 24, 1941
No. 1539] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2019/VAISAKHA 24, 1941

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 मई, 2019

का.आ. 1731 (अ).— केन्द्रीय सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार और अन्य सामाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा-शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 9 और धारा 13ग के अधीन, तत्कालीन भारत सरकर के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्रमश: का.आ. 641(अ) और का.आ. 642(अ), तारीख 2 सितम्बर, 1994 के द्वारा पत्रकारों और गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों और समाचार एजेंसी कर्मचारियों के लिए मजदूरी की दरें नियत या पुनरीक्षित करने हेतु दो मजदूरी बोर्डों का गठन किया था;

और, उक्त वेतन बोर्डों ने अपनी सिफारिशें (मनीसाना वेतन बोर्ड सिफारिशें) 25 जुलाई, 2000 को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दीं; और उक्त रिपोर्ट के "भाग तीन" में यथा-अन्तर्विष्ट उक्त सिफारिशें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गईं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दो आदेश, उक्त रिपोर्ट के "भाग तीन" में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के साथ, अधिसूचना संख्या का.आ. 1086(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2000 के द्वारा अधिसूचित की गई थी और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ.1125(अ), तारीख 15 दिसम्बर, 2000 के द्वारा संशोधित की गयी थी (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त दो अधिसूचनाएं कहा गया है);

और, दो अधिसूचनाओं को क्रमश: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा अपने तारीख 01 फरवरी, 2006 के आदेश के द्वारा और दिल्ली उच्च न्यायाल द्वारा अपने तारीख 21 नवम्बर, 2006 के आदेश के द्वारा रद्द कर दिया गया;

और, 2010 की डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 5226 में (श्री अच्युत राव एवं अन्य बनाम भारत संघ, मनीसाना वेतन बोर्ड और मणिपाल मीडिया नेटवर्क लिमिटेड में) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिनांक 21 जनवरी, 2011 के अपने आदेश द्वारा यह बात नोट कर लेने के पश्चात रिट याचिका का निपटान कर दिया कि मणिपाल मीडिया नेटवर्क लिमिटेड अपने कर्मचारियों के मामले में मनीसाना वेतन बोर्ड के अधिनिर्णय को कार्यान्वित करने के प्रति सहमत है;

और, केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त दो अधिसूचनाओं को अधिक्रांत करते हुए, मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशें अधिसूचना संख्या का.आ. 2532(अ), दिनांक 11 नवम्बर, 2011 के द्वारा अधिसूचित कर दीं;

और, मामला इस प्रकार था कि स्टेटस्मैन मजदूर यूनियन ने केन्द्रीय सरकार को उक्त दोनों अधिसूचनाएं पुन: अधिसूचित करने का निदेश देने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई रिट याचिका 2014 की डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 6319 दायर कर दी;

और, दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस निदेश के साथ तारीख 6 जुलाई, 2018 के अपने निर्णय द्वारा 2014 की डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 6319 का निपटान कर दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का तारीख 01 फरवरी, 2006 का निर्णय, 2010 की डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 5226 में श्री अच्युत राव एवं अन्य बनाम भारत संघ में पारित उक्त उच्च न्यायालय के तारीख 21 जनवरी, 2011 के उत्तरवर्ती आदेश को देखते हुए बचा नहीं रहा; और आगे केन्द्रीय सरकार को स्टेटस्मैन मजदूर यूनियन के अभ्यावेदन को उक्त अधिनियम के अधीन अधिकथित विधिवत प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात निपटाए जाने का निर्देश दिया;

और, दिनांक 6 जुलाई, 2018 के उक्त आदेश के विरूद्ध स्टेटस्मैन लिमिटेड द्वारा 2018 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 549 दाखिल की गई; और उक्त लेटर्स पेटेंट अपील का निपटान करते समय, दिल्ली उच्च न्यायालय के डिविजन बैंच ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह टिप्पणी की कि मजीठिया मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन मनीसाना मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को समाप्त नहीं करता तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में कोई सीमा नहीं है;

और, उक्त लेटर्स पेटेंट अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मनीसाना मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों में आवश्यक उपांतरणों के साथ उक्त दो अधिसूचनाओं को आमेलित करते हुए एक आदेश करने का प्रस्ताव करती है जो उसकी राय में उक्त सिफारिशों की विशेषता में महत्वपूर्ण परिवर्तन करती है; और मनीसाना मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें अधिसूचित करने वाली उक्त दो अधिसूचनाएं जो फरवरी, 2006 के प्रथम दिवस से तत्काल पहले लागू थीं, सभी सार्थक समय पर लागू और लागू रही मानी जाएंगी;

अत:, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य सामाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा-शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 12 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के परन्तुक के अनुसरण में निम्नलिखित उपांतरणों से संभावनीय रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित में अपना अभ्यावेदन देने हेतु नोटिस दिया जाता है, अर्थात:-

I. पत्रकारों और गैर-पत्रकार, समाचार पत्र कर्मचारियों (समाचार एजेन्सी में समाचार पत्र कर्मचारियों से भिन्न) के संबंध में वेतन बोर्डों की सिफारिशों के भाग तीन के अध्याय 1 में;

(क) पैरा 9 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा;अर्थात्:-

"(2) अशंकालिक संवाददाता और फोटोग्राफर का वेतन उसी स्तर के पूर्णकालिक संवाददाता और फोटोग्राफर को लागू मूल वेतन के पश्चात् प्रतिशत धन महंगाई भत्ते से कम नहीं होगा यदि वह जिला मुख्यालय या उससे ऊपर के स्तर पर कार्य करता है परंतु कोई अंशकालिक संवाददाता और फोटोग्राफर दो समाचार पत्र स्थापनों से अधिक के लिए काम नहीं करेगा। यदि संवाददाता और फोटोग्राफर जिला स्तर से नीचे के स्तर पर कार्य करता है तो उसकी मजदूरी एक 'तिहाई से कम नहीं होगी' परंतु वह 3 समाचार पत्रों से अधिक के लिए कार्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, मजदूरी का संदाय स्तंभ के आधार पर किया जाएगा जिसकी दरें पारम्परिक बातचीत के द्वारा विनिश्चित की जा सकेंगी,"

(ख) पैरा 12 में, -

(i) उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा:-

"(2) महंगाई भत्ता, जैसे ही उस तिमाही के आंकड़े उपलब्ध होते हैं जिसके लिए औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसके लिए महंगाई भत्ते की दरें अवधारित की जानी हैं, मंजूरी किया जा सकेगा। महंगाई भत्ता ठीक आगामी तिमाही के आरंभ से संदेय हो जाएगा जिसके लिए महंगाई भत्ते की दर का अवधारण करने के लिए औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है।"

(ii) उप-पैरा (3) में "प्रादेशिक केन्द्र के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) पैरा 21 में, -

(i) "तीस" शब्द के स्थान पर "अठारह" शब्द रखा जाएगा;

(ii) "10" अंक के स्थान पर "6" अंक रखा जाएगा;

(घ) प्रथम अनुसूची में ग्रुप 3क में "विज्ञापन प्रूफ रीडर, और प्लानर सहित प्रूफ रीडर" शब्द के स्थान पर "विज्ञापन प्रूफ रीडर, प्लानर, और स्कैनर आपरेटर सहित प्रूफ रीडर" शब्द रखा जाएगा;

(ङ) द्वितीय अनुसूची में ग्रुप 3क में, अंत में निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"स्कैनर/स्कैनर आपरेटर से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो, फोटोग्राफर/कलर विज्ञापन/चित्रों का स्कैन करता है और फोटोग्राफरों ओर ट्रांसपेरंसीज का कलर करेक्शन करता है"

(च) चतुर्थ अनुसूची में ग्रुप 1 में "स्कैनर/स्कैनर आपरेटर" शब्द का लोप किया जाएगा;

(छ) सारणी 1 में निम्नलिखित टिप्पण अंत में जोड़ा जाएगा अर्थात्:-

"टिप्पण:-तुलनात्मक मूल वेतन वाले पत्रकारों और गैर पत्रकारों के समान मूल वेतन के लिए वेतनवृद्धि की दरें समान होंगी।";

(ज) सारणी III के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

"सारणी III

(पैरा 12 देखें)

महंगाई भत्ता

मूल वेतन स्लैब	तिमाही अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर देय महंगाई भत्ते का निर्धारण करने के लिए निष्प्रभावीकरण की दर
1. 5000 रु. तक	मूल वेतन का 100 प्रतिशत
2. 5001 से 7000 रु. के बीच	मूल वेतन का 80 प्रतिशत या 5000/-रु. का 100 प्रतिशत जो भी अधिक हो।
3. 7001 से 9500 रु. के बीच	मूल वेतन का 70 प्रतिशत या 7000/-रु. का 80 प्रतिशत जो भी अधिक हो।
4. 9501 से 12500 रु. के बीच	मूल वेतन का 60 प्रतिशत या 9500/-रु. का 70 प्रतिशत जो भी अधिक हो।
5. 12500 से अधिक	मूल वेतन का 50 प्रतिशत या 12500/-रु. का 60 प्रतिशत जो भी अधिक हो।

महंगाई भत्ते की संगणना करने के लिए सूत्र:

(वर्ष 1998 का अ.भा.उ.मू.स. अर्थात् 1997 की अंतिम तिमाही)

$$\text{म.भ.} = \frac{(\text{प्रश्नगत तिमाही के लिए औसत अ.भा.उ.मू.सू.}) - (\text{वर्ष 1998 का अ.भा.उ.मू.सू. अर्थात् 1997 की अंतिम तिमाही})}{(\text{वर्ष 1998 का अ.भा.उ.मू.स. अर्थात् 1997 की अंतिम तिमाही})} \times \text{निष्प्रभावीकरण की दर} \times \text{मूल मजदूरी}$$

(झ) सारणी IV में, टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"टिप्पण I ऊपर वर्णित मकान किराया भत्ता की दरें किसी अंचल में स्थित समाचार-पत्र स्थापनों के किसी वर्ग के किसी ग्रुप के कर्मचारी के लिए अधिकतम चार हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह होगी।

"टिप्पण II समाचार-पत्र स्थापनों के वर्ग VI से IX के लिए मकान किराया भत्ता वेतन बोर्डों द्वारा की गई सिफारिशों के स्तर पर या वह जो कर्मचारी आहरित कर रहा है, जो अधिक हो, पर नियत किया जाएगा।"

(ञ) सारणी VII में, जहां कहीं "न्यूनतम" शब्द आता है उसके स्थान पर "वास्तविक" शब्द रखा जाएगा;

II. भाग तीन में, समाचार एजेंसियों के श्रमजीवी पत्रकार और गैर पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के वेतन बोर्डों की सिफारिशों के अध्याय II में;